कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2016/448-462

दिनांक – 30/9/2016

विषय :– जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 के प्रस्ताव संख्या 18 कृषि आधारित उद्योग के लिए विनियम के कार्यवाही विवरण में संशोधन बाबत।

क्रं. सं.	विवरण	पूर्व में अनुमोदित	प्रस्तावित
1.	10.1	Rajasthan Township policy-2010 के अनुसार Special Township Scheme हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर आवश्यक है। अतः कृषि आधारित औद्योगिक योजनाओं हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर रखा जाना होगा।	कृषि आधारित औद्योगिक योजनाओं हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर रखा जाना होगा।
2.	10.2	नगरिय विकास विभाग के आदेश कमांक 30.01.2013 के अनुसार कृषि आधारित औद्योगिक योजनाओं के बाहरी ओर बफर के रूप में 15 मीटर चौडी हरित पट्टी (Green Corridor) का रखा जाना उचित होगा। कृषि आधारित औद्योगिक भूखण्ड में सैटबेक्स में सघन वृक्षारोपण किया जाना होगा (प्रति 100 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्र पर 1 वृक्ष जो कि 6 मी. उचांई ग्रहण कर सकता हो। इस हेतु अमानत राशि प्रति वृक्ष 500/– रूपये ली जावेगी, जो कि 3 वर्ष में वृक्षारोपण की पुष्टि उपरान्त रिफण्डेबेल होगी। वृक्षारोपण के अभाव में उक्त राशि जब्त कर ली जावेगी एवं वृक्षारोपण किये जाने हेतु नियमानुसार शुल्क/राशि जो भी खर्च हो वसूली जायेगी।	कृषि आधारित औद्योगिक भूखण्ड में सैटबेक्स में सघन वृक्षारोपण किया जाना होगा (प्रति 100 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्र पर 1 वृक्ष जो कि 6 मीटर उंचाई ग्रहण कर सकता हो। इस हेतु अमानत राशि प्रति वृक्ष 500/– रूपये ली जावेगी, जो कि 3 वर्ष में वृक्षारोपण की पुष्टि उपरान्त रिफण्डेबेल होगी। वृक्षारोपण के अभाव में उक्त राशि जब्त कर ली जावेगी एवं वृक्षारोपण किये जाने हेतु नियमानुसार शुल्क/राशि जो भी खर्च हो वसूली जायेगी।
3.	10.3 के बिन्दु (i)	– अधिकतम विक्रय योग्य क्षेत्र 70 प्रतिशत (मुख्य उपयोग के लिए 40 से 65 प्रतिशत, आवासीय 5 से 15 प्रतिशत तथा व्यावसायिक 3 प्रतिशत)।	(i) अधिकतम विक्रय योग्य क्षेत्र 70 प्रतिशत (अ) मुख्य उपयोग के लिये 40 से 65 प्रतिशत (ब) आवासीय 5 से 15 प्रतिशत ::–आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 30–75 वर्गमीटर रहेगा। इन भूखण्डो का उपविभाजन/पुनर्गठन प्रतिबंधित रहेगा। भूतल . प्रथम तल ही अधिकतम अनुदेय रहेगा। (स) व्यावसायिक 3 प्रतिशत ::– या तो Informal shops या 750 वर्गमीटर (अधिकतम) का भूखण्ड (एक या अधिक) या दोनो प्रस्तावित किये जा सकेगे।
4.	9.4 (2)	भू–आच्छादन 20 प्रतिशत (अधिकतम)	आच्छादन 40 प्रतिशत (अधिकतम)

उपरोक्त संशोधन श्रीमान आयुक्त जो.वि.प्रा. एवं श्रीमान अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पैरा संख्या ...6..... व .....7... में अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है जिसका पश्चातवर्ती अनुमोदन आगामी आथोरिटी की बैठक में करवाया जायेगा।

(मुकेश मित्तल)
निदेशक आयोजना

(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक/बैठक/2016/448 – 462

दिनांक – 30/9/2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला प्रमुख, जिला परिषद् जोधपुर।
4. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
9. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियेाजन/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. उपायुक्त– पूर्व/पश्चिम /उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
14. अधीक्षण अभियन्ता –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
17. ....

(अरूण पुरोहित)
सचिव

448-462
30/9/2016

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ) महेन्द्रसिंह राठौड, माननीय महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 9 सितम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री पूनाराम चौधरी, जिला प्रमुख, जोधपुर।
2. श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम, जोधपुर
4. श्री निसार खान, उपायुक्त–सूरसागर, नगर निगम, जोधपुर
5. श्री अविनाश सिंघवी, जोनल मुख्य अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
6. श्री सी.आर. दीपेन, रेजीडेन्ट इंजिनियर, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. श्री बी.एल. दईया, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. श्री राजेश चन्द मेहता, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
9. श्री एस.के. मिश्रा, जनरल मैनेजर कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर।
10. श्री एस.के.शर्मा, तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता (सीसी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. श्री अनुज अग्रवाल, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर।
12. श्री के.के. व्यास, अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीआर–3, जोधपुर।
13. श्री अनिल सोनी, सहायक अभियन्ता तकनीकी सहायक, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
14. श्री मुकेश मित्तल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री अतूल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री नरपत सिंह शेखावत, निदेश–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री हनुमान मल ढाका, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–पश्चिम , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्री दलवीर सिंह ढढ्ढा, उपायुक्त–उत्तर , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
21. श्री विरेन्द्र सिंह चौधरी उपायुक्त–दक्षिण , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
22. श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर